

P. Saxena
Registrar



महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय
Mahamaya Technical University

C-22, Sector-62, Noida, G. B. Nagar (U.P.) - 201301

Ph. 0120-2472704/708

Fax: 0120 2472704

पत्र संख्या:-एमटी0यू0/कुल0 का0/सम्बद्धता/2011/ 3423

दिनांक:-26.07.2012

सेवा में,

निदेशक,

ABES Institute of Technology, (290)
Campus-2, 19th km. Stone, National Highway-24,
Vijay Nagar, Ghaziabad-201009 (UP) India

विषय :- संस्था को शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या: 2723/सोलड -1-2010- 1: (13)/2010 दिनांक 19.07.2011 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्र संख्या Northern Region F.No.Northern/1-484256817/2011/EOA दिनांक 01.09.2011 एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याप्ता में निम्न पाठ्यक्रमों उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ

1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	120 सीट
2. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटेशन इंजीनियरिंग	120 सीट
3. इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	60 सीट
4. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	60 सीट
5. मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60 सीट
6. एम0बी0ए0	60 सीट
7. एम0सी0ए0	60 सीट

स्वचित घोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है :-

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्त्र फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2012-13 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. बी0फार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमतः फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं बी0आर्क0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमानुसार आर्कीटेक्चर काउन्सिल आफ इंडिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
8. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तब कार्यवाही के अधीन होगी।
10. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(पी0सुवसेना)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।
5. मार्ट फाइल।

(पी0सुवसेना)
कुलसचिव